

एक अंतर-मंत्रालयी पैनल ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम में बदलाव की सिफारिश की

प्रासंगिकता: जीएस 2: विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप और उनके डिजाइन और कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे।

की-वर्ड्स : अंतर-मंत्रालयी पैनल, खाद्य सुरक्षा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), कुपोषण, एकीकृत बाल विकास योजना, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण -5 (NFHS-5), प्रोटीन युक्त भोजन, सूक्ष्म पोषक तत्व .

खबरों में क्यों?

- एक अंतर-मंत्रालयी पैनल ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) में महत्वपूर्ण बदलावों की सिफारिश की है।



समिति के बारे में:

- अंतर-मंत्रालयी समिति में खाद्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और भारतीय सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) के वैज्ञानिक शामिल हैं।

मुख्य अवलोकन:

• कोविड-19 महामारी का प्रभाव:

- इससे कुपोषण के "मौन संकट को और बढ़ा देने" की संभावना है।

• **प्रोटीन युक्त मानदंडों की विफलता:**

- एकीकृत बाल विकास योजना और मध्याह्न भोजन योजना जैसे कार्यक्रमों के दिशा-निर्देशों में प्रोटीन से संबंधित मानदंड हैं, लेकिन सभी मामलों में, अधिकांश राज्य सरकारें उनके साथ पर्याप्त न्याय करने में विफल रही हैं।
- उदाहरण के लिए, अंडे केवल 13 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में मध्याह्न भोजन में परोसे जाते हैं।
- राज्य सरकारें अक्सर पोषण संबंधी कार्यक्रमों में उनके शामिल किए जाने का विरोध करने के लिए खाद्य संबंधी संवेदनशीलता का हवाला देती हैं।

• **एनएफएचएस-5 डेटा पर चिंताएं:**

- उदाहरण के लिए, पांच साल की उम्र तक एनीमिया से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत पिछले सर्वेक्षण में 59 प्रतिशत से बढ़कर 65 प्रतिशत हो गया है।
- साथ ही, सभी आयु वर्ग के बच्चों में मोटापा बढ़ा है।
- यह अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों और आहार में सूक्ष्म पोषक तत्वों की अनुपस्थिति की ओर इशारा करता है।

• **विटामिन और खनिजों के भंडार की अपर्याप्तता:**

- आंगनवाड़ी और स्कूलों में विटामिन और खनिजों के कैप्सूल का पर्याप्त भंडार होना चाहिए।
- लेकिन कई रिपोर्टों और सर्वेक्षणों से पता चला है कि हमेशा ऐसा नहीं होता है।

एनएफएसए 2013 की विशेषताएं

- **कवरेज और पात्रता:** ग्रामीण आबादी का 75% तक और शहरी आबादी का 50% लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत कवर किया जाएगा, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की समान पात्रता होगी।
 - अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) परिवार-35 किलो प्रति परिवार प्रति माह
- **रियायती मूल्य:** टीपीडीएस के तहत खाद्यान्न रुपये की रियायती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाएगा। चावल, गेहूं और मोटे अनाज के लिए 3/2/1 प्रति किलो।
- **परिवारों की पहचान:** यह राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाना है।
- **लाभार्थी परिवार की सबसे बड़ी महिला (18 वर्ष या उससे अधिक) को राशन कार्ड जारी करने के लिए 'परिवार की मुखिया' माना जाता है।**
- **शिकायत निवारण तंत्र:** जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र।
- **मातृत्व लाभ:** गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को भी कम से कम रु. 6,000।
- **पारदर्शिता और जवाबदेही:** सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अभिलेखों के प्रकटीकरण, सामाजिक अंकेक्षण और पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सतर्कता समितियों के गठन के प्रावधान किए गए हैं।

मुख्य सिफारिशें:

- प्रोटीन युक्त भोजन के लिए कानूनी आदेश:

- समिति ने प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, मेवा और फलियां को स्कूल और आंगनवाड़ी स्तर पर पोषण योजनाओं में शामिल करने के लिए कानूनी आदेश मांगा है।
- जो लोग अंडे का सेवन नहीं करते हैं उन्हें मेवों और बीजों की प्रस्तावित मात्रा का दोगुना प्रदान किया जा सकता है।
- **सूक्ष्म पोषक तत्वों का समावेश:**
 - राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची II मध्याह्न भोजन, पीएम पोषण और एकीकृत बाल विकास सेवा योजना जैसे सरकारी खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए पोषण मानकों को निर्धारित करती है।
 - वर्तमान में, यह केवल कैलोरी और प्रोटीन के संदर्भ में प्रति भोजन पोषण की मात्रा निर्धारित करता है, लेकिन अंतर-मंत्रालयी पैनल ने सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी ध्यान में रखने के लिए कहा है।
 - यह एनएफएसए के विशुद्ध रूप से कैलोरी-केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय सूक्ष्म पोषक तत्वों - लोहा, जस्ता, विटामिन सी, विटामिन बी 12, फोलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन बी 2 - को आहार में शामिल करने की सिफारिश करता है।
 - सूक्ष्म पोषक तत्वों के लिए एक कानूनी जनादेश इस घाटे को दूर करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को आगे बढ़ाने की दिशा में पहला कदम हो सकता है।
- **लागत निहितार्थ:**
 - सिफारिशों के लागत निहितार्थ के अनुसार, निम्न **प्राथमिक कक्षाओं में प्रति भोजन की लागत 9.6 रुपये और उच्च प्राथमिक में 12.1 रुपये** होगी।
 - ❖ इसमें **दूध और फल शामिल नहीं** हैं।
 - ❖ वर्तमान में, खाना पकाने की लागत क्रमशः 4.97 रुपये और 7.45 रुपये है।

निष्कर्ष:

- भोजन का अधिकार न केवल एक वैधानिक अधिकार है बल्कि एक मानव अधिकार भी है।
- नौ साल से अधिक समय से मौजूद रहने के बावजूद, एनएफएसए ने देश के बड़े हिस्से में लोगों की पोषण स्थिति में मामूली सुधार किया है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान रखा जाना चाहिए कि भोजन में सबसे पहले स्वस्थ सामग्री शामिल हो।
- पोषण सुरक्षा की व्यापक परिभाषा को शामिल करने की आवश्यकता है। इससे लाखों लोगों की भूख मिटाने और सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

स्रोत: The Indian Express

प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न:

Q. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. प्राथमिकता वाले परिवारों की श्रेणी प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम की हकदार है।
2. अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष की आयु तक बच्चों को अंडे देना अनिवार्य है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1
- केवल 2
- 1 और 2 दोनों
- तो 1 और न ही 2

उत्तर : (a)

- अधिनियम में प्रति एएवाई परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न का अधिकार है।
- अंतर-मंत्रालयी समिति ने स्कूल और आंगनबाडी स्तरों पर पोषण योजनाओं में प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे अंडे, मेवा और फलियां शामिल करने के लिए कानूनी आदेश मांगा है
 - जो लोग अंडे का सेवन नहीं करते हैं उन्हें नट और बीजों की प्रस्तावित मात्रा का दोगुना प्रदान किया जा सकता है।

मुख्य परीक्षा प्रश्न:

Q. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में संशोधन के माध्यम से प्रोटीन और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर भोजन के लिए एक कानूनी जनादेश कुपोषण से निपटने में मदद कर सकता है। जांच करें ।

